न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 16 / 2008 / 223 आरटीए

बन्तासिंह पुत्र स्व. सोहनसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र स्व. नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पो0 / वादी

2. अर्जनसिंह पुत्र स्व. नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0 / प्रतिवादी सं. 1

3. जंगीरसिंह (मृतक)

3 / 1 देशराज पुत्र स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 / 2 सीमा पुत्री स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 / 3 सरजीतो बाई पत्नि स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 / 4 नीटू नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3 / 5 सुनीता नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/6 सोनू नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 1 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———रेस्पो0/प्रतिवादी सं. 3 ता 6

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.1999 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मु.न. 02/98 अनवानी करतारसिंह बनाम सोहनसिंह

उपस्थित :–

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट

श्री शिवशंकर व्यास अधिवक्ता रेस्पो0

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6

निर्णय दिनांक 10.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि रेस्पो0 सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पेश किया कर कथन किया कि अपीलांट ने अपने हिस्सा की 7 बीघा भूमि रेस्पो0 सं. 3 ता 5 को विक्रय की हुई है तथा इस विक्रय पत्र के आधार पर रेस्पो0 सं. 3 ता 5 के नाम इंतकाल दर्ज हो चुका है व रेस्पो0 सं. 2 ने दिनांक 31.01.92 को अपने हिस्सा की 7 बीघा भूमि विक्रय की हुई थी लेकिन राजस्व अभिलेख मे खाता सं. 38/89 मे व 2/2 मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 का हिस्सा गलत रूप से दर्ज है, उनका नाम विलोपित किया जाकर उसके पक्ष मे 14 बीघा भूमि के खातेदार होने की घोषणा की जावे, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर वाद डिक्री कर दिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर आई साक्ष्य का विधिनुसार विश्लेषण किये बिना पारित की गई है। जिससे अपीलांट प्रश्नगत भूमि मे अपने 3.10 बीघा के हिस्सा से

वंचित हुआ है। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वादपत्र मे यह तथ्य कतई मिथ्या दर्ज किया है कि रेस्पो0 सं. 3 ता 5 द्वारा खरीदशुदा भूमि अकेले अपीलांट द्वारा विक्रय की गई हो। रेस्पो0 सं. 1 ने अपने वादपत्र मे यह तथ्य अंकित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कपटपूर्वक डिक्री हासिल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत इंतकाल संख्या 130 दिनांक 10.08.92 से यह निष्कर्ष नही निकाला कि रेस्पो0 सं. 3 ता 5 द्वारा खरीदशुदा भूमि अकेले अपीलांट द्वारा विक्रय की गई है अथवा अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ने संयुक्त रूप से विक्रय की है। पत्रावली पर प्रस्तुत इंतकाल सं. 130 दिनांक 10. 08.92 से यह बखूबी साबित था कि 1.771 है0 भूमि के विक्रेता सोहनसिंह व अर्जनसिंह है। इंतकाल सं. 130 के खाना नम्बर 16 मे विक्रेता अर्जनसिंह रेस्पो0 सं. 2 का नाम जानबूझकर छिपाते हुये यह भूमि अकेले सोहनसिंह के द्वारा ही विक्रय किये जाने का इन्द्राज कर न केवल अपीलांट के अधिकारो पर कुठाराघात किया है बल्कि राजस्व अभिलेख के एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मे कूटरचना की है।

4. रेस्पो0 सं. 2 का प्रश्नगत 21 बीघा भूमि मे 1 / 3 हिस्सा यानि 7 बीघा ही था। विक्रयपत्रो दिनांक 22.06.76 के अन्तर्गत उसने 3.10 बीघा भूमि विक्रय की हुई थी तथा उसका शेष हिस्सा 3.10 बीघा ही था। रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने इन बैयनामो के आधार पर अमल दरामद नही होने का अनुचित फायदा उठाकर राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाकर पुनः 7 बीघा के बैयनामे दिनांक 31.01.92 को रेस्पो0 सं. 2 से रेस्पो0 सं. 1 के पक्ष मे निष्पादित करवाकर एवं सही वस्तुस्थिति को छिपाकर अपीलाधीन एक पक्षीय डिक्री हासिल की है। रेस्पो0 सं. 2 द्वारा निष्पादित उक्त दोनो विक्रय पत्र 3.10 बीघा की हद तक शून्य व अवैध थे तथा उक्त बैयनामो से रेस्पो0 सं. 1 को 7 बीघा भूमि मे हक निहित नही हुये थे। अपीलांट पर करवाई तामील आदेश 5 नियम 17 ता 20 के आज्ञापक प्रावधानो के विपरीत थी। प्रकरण की प्रथम सुनवाई की तिथि पर बिना न्यायालय के आदेश एवं अनुमति के चस्पादगी के आधार पर की गई तामील विधि विरूद्ध थी तथा चस्पादंगी की कार्यवाही दो गवाहो का पूर्ण पता एवं तामील का समय दर्ज नही है व न ही तामील कुनिन्दा का शपथ पत्र है कि किन परिस्थितियों मे चस्पादंगी की तामील करवाई गई है। इंतकाल सं. 130 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत था। इस इंतकाल मे 1.771 है0 भूमि सोहनसिंह व अर्जनसिंह द्वारा बेचे जाने का उल्लेख था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज किया है। अर्जनसिह ने अपने 7 बीघा के हिस्सा मे से 3.10 बीघा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 22.06.1976 विक्रय कर दी थी तथा उसका शेष हिस्सा मात्र 3.10 बीघा ही था। अर्जनसिंह को बैयनामा दिनांक 31.01.92 के अन्तर्गत

पुनः 7 बीघा भूमि बेचने का अधिकार नही था। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद ग्रहण किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे RRD 2004 Page 9, RRD 2010 Page 647, RBJ 2007 Page 141, RRD 2007 Page 463, RRD 2010 Page 24, RBJ 2008 Page 761, RRD 2009 Page 195, RBJ 2007 Page 222, RRD 1985 Page 655, RRD 1995 Page 532 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 1 व 2 के नाम से कुल 21 बीघा भूमि थी जिसमे से प्रत्येक को 7–7 बीघा भूमि आती है। प्रतिवादी स0 2/रेस्पो0 अर्जनसिंह ने अपने हक व हिस्सा की कुल 7 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 31.01.92 को रेस्पो0 सं. 1/वादी को बैय कर दी। जिसकी घोषणा वादी करवाने का अधिकारी है। सोहनसिंह ने अपने हक हिस्सा की आराजी कुल 7 बीघा प्रतिवादी सं. 3 ता 5/रेस्पो0 सं. 3 ता 5 को बैय कर दी जिस पर खरीददरान का कब्जा काश्त है। रेस्पो0 सं. 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने हक हिस्सा व अपनी खरीदशुदा भूमि को शामिल करते हुए कुल 14 बीघा भूमि की घोषणा अनुतोष चाहा गया था जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर विधिनुसार सही निर्णय पारित किया गया है। जहां तक अपीलांट की तामील का प्रश्न है तो अपीलांट की तामील करवाई गई थी नोटिस लेने से मना करने पर नोटिस तामील की चस्पादंगी द्वारा की गई। अपीलांट का अपीलाधीन वाद जैरकार रहने का ज्ञान था। परन्तु अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित न आने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

7. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि वादग्रस्त कुल 21 बीघा भूमि जो अपीलांट पिता सोहनसिंह व उसके भाई रेस्पो0 सं. 1 व 2

करतारसिंह व अर्जनसिंह के नाम से दर्ज थी। जिसमे प्रत्येक को 7–7 बीघा भूमि आती है। अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 ने संयुक्त रूप से 7 बीघा भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 22.06.76 के द्वारा 2 बीघा जंगीरसिंह, 2 बीघा कश्मीरसिंह, 3 बीघा मोहनसिंह को बैय कर दी। जिसका इंतकाल सं. 130 के द्वारा नामान्तरण दर्ज हुआ। उक्त बैयनामा के पश्चात अपीलांट व रेस्पो0 सं. 2 का 3.10–3.10 बीघा शेष रही है। परन्तु अर्जनसिंह द्वारा अपने जायज 3.10 बीघा हिस्सा से अधिक कुल 7 बीघा भूमि का बैयनामा रेस्पो0 सं. 1 करतारसिह के पक्ष मे दिनांक 31.01.92 को निष्पादित करवा दिया। जबकि अर्जनसिंह का 3.10 बीघा हिस्सा ही निहित था और रेस्पो0 सं. 1 द्वारा बैयनामा दिनांक 31.01.92 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर बैयनामा के आधार पर अपने पक्ष मे डिक्री पारित करवाकर वादग्रस्त भूमि से अपीलांट के पिता सोहनसिंह व करतारसिंह का नाम कलमजन करवा दिया। जबकि अपीलांट के पिता द्वारा अपने हक हिस्सा 7 बीघा भूमि मे से 3.10 बीघा भूमि का बैचान दिनांक 22.06.76 द्वारा किया गया था तथा वादग्रस्त भूमि 3.10 बीघा हिस्सा अपीलांट के पिता का निहित था। जिसे प्रभावित पक्ष को बिना सुने अपीलाधीन डिक्री के आधार पर रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज कर दिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य को नजरअदांज करते हुए प्रभावित पक्षकार को बिना सुने वादग्रस्त भूमि की घोषणा की डिक्री पारित की गई है जिसकी पुष्टि किया जाना न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

8. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.99 निरस्त किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख मे अपीलांट सोहनसिंह के हक व हिस्से शेष बची 3.10 बीघा भूमि की स्थिति पुनः बहाल करते हुए सोहनसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश किए जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 16/2008/223 आरटीए

बन्तासिंह पुत्र स्व. सोहनसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. करतारसिंह पुत्र स्व. नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

———रेस्पो0/वादी

2. अर्जनसिंह पुत्र स्व. नन्दसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

——रेस्पो0/प्रतिवादी सं. 1

3. जंगीरसिंह (मृतक)

3/1 देशराज पुत्र स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/2 सीमा पुत्री स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/3 सरजीतो बाई पत्नि स्व. जंगीरसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/4 नीटू नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/5 सुनीता नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3/6 सोनू नाबालिग पि0 स्व. करतारसिंह जरिये कुदरती वली कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 13 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

4. कश्मीरसिंह पुत्र सरायणसिंह जाति रायसिख निवासी वार्ड नं. 1 डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. मोहनसिंह पुत्र किशनसिंह जाति रायसिख निवासी डबलीराठान बास मौलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़।

———रेस्पो0/प्रतिवादी सं. 3 ता 6

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.1999 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ मु.न. 02/98 अनवानी करतारसिंह बनाम सोहनसिंह

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलांट, श्री शिवशंकर व्यास अधिवक्ता रेस्पो0 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 6 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.06.99 निरस्त किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख मे अपीलांट सोहनसिंह के हक व हिस्से शेष बची 3.10 बीघा भूमि की स्थिति पुनः बहाल करते हुए सोहनसिंह के नाम दर्ज करने के आदेश किए जाते है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 10.11.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ